राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(4)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 26.12.19

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.01.2018 को आयोजित की गई। श्री रमेश चन्द मीणा (अजजा), कनिष्ठ विधि अधिकारी (क्रम संख्या 33) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अभिशंसा को बन्द लिफाफे में रखा गया। विभागीय आदेश क्रमांक प.22(42)न्याय/2011 दिनांक 09.10.2019 से इस जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का आदेश जारी किया है।

श्री रमेश चन्द मीणा (अजजा), कनिष्ठ विधि अधिकारी के विरूद्ध उक्त विचाराधीन जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के बन्द लिफाफे को खोला गया तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री मीणा को वर्ष 2017–18 में दिनांक 01.04.2017 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री मीणा की वरिष्ठता श्रीमती हेमन्त कुमारी (अजा) क्रम संख्या 32 के नीचे तथा श्रीमती वन्दना मीणा (अजजा) क्रम संख्या 34 के ऊपर रहेगी।

श्री रमेश चन्द मीणा (अजजा) का वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वेतनमान PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800) L-12 में दिनांक 01.04.2017 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण नोशनल आधार पर तथा कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ देय होगा।

श्री रमेश चन्द मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द का पदोन्नति पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कुल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर में वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है।

आज्ञा से

26/12/19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. श्री रमेश चन्द मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

26-12-19

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx